इलिनॉय राज्य
उम्र बढ़ने की प्रक्रिया पर विभाग

IDoA
Illinois Department on Aging

वयस्क संरक्षण सेवाएँ

थामने को हाथ, हम हैं आपके साथ

वयस्क संरक्षण सेवाएँ कार्यक्रम क्या है?

वयस्क संरक्षण सेवाएँ (एडल्ट प्रोटेक्टिव सर्विसेज़, APS) इलिनॉय जरण विभाग (इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑन एजिंग, IDoA) का एक कार्यक्रम है। APS ऐसे बुज़ुर्गों और अशक्तताग्रस्त व्यक्तियों को सेवाएँ प्रदान करता है जो दुर्व्यवहार, उपेक्षा, वित्तीय शोषण और/या स्व-उपेक्षा के जोखिम में हो सकते हैं। APS केस कर्मी आपसे सशरीर मुलाक़ात करके आकलन करेंगे। इस आकलन से यह निर्धारण करने में मदद मिलती है कि आपकी क्या ज़रूरतें हो सकती हैं। हम आपके लक्ष्यों के बारे में बात करेंगे और समझाएँगे कि आपके लक्ष्यों को पाने में मदद के लिए कौनसी सेवाएँ या सहायताएँ उपलब्ध हैं। सहायता के उदाहरण: साफ़-सफ़ाई, कपड़े धोने, नहाने, भोजन, परामर्श, क़ानूनी संप्रेषण (रेफ़रल), परिवहन और आवास आदि के संबंध में घर-में मदद। वयस्क संरक्षण सेवाएँ आपके लिए निःशुल्क हैं।

APS केस के दौरान किन चीज़ों की उम्मीद करें।

- **अंतर्ग्रहण (इनटेक) –** APS को सूचित किया जाता है या उसे सूचना मिलती है कि आप दुर्व्यवहार, उपेक्षा, वित्तीय शोषण, परित्याग और/या स्व-उपेक्षा के जोखिम में हो सकते हैं। इस सूचना में दी गई जानकारी को आरोप (एक या अधिक) कहा जाता है। APS को सूचित करने वाले व्यक्ति का नाम गोपनीय होता है और उस व्यक्ति की लिखित अनुमति या किसी न्यायालय के आदेश के बिना आपको उसका नाम नहीं बताया जा सकता है।

- **आकलन –** इस दौरान, APS आपसे सशरीर मुलाक़ात करके आरोपों के बारे में बात करता है और यह निर्धारित करने के लिए जानकारी एकत्र करता है कि APS के मतानुसार आरोप का समर्थन अथवा खंडन करने के लिए साक्ष्य उपस्थित है या नहीं। APS जानकारी एकत्र करने के लिए आपके साथ और आपके द्वारा स्वीकृत अन्य लोगों के साथ मिलकर कार्य करेगा। जानकारी में लोगों के वक्तव्य (बयान), चिकित्सा रिकॉर्ड, बैंक विवरण (बैंक स्टेटमेंट), फोटो आदि हो सकते हैं। इस प्रक्रिया में आम तौर पर 30-45 दिन लगते हैं।

- **केस कार्य –** जब APS यह निर्णय करता है कि जुटाई गई जानकारी आरोप के घटित होने का समर्थन करती है, तो आपको अतिरिक्त सेवाएँ पाने का अवसर प्रदान किया जाता है। इस समय के दौरान APS एक बार फिर आपकी ज़रूरतों का आकलन करेगा, यह चर्चा करेगा कि आप क्या होते देखना चाहेंगे और समझाएगा कि कौनसी सेवाएँ उपलब्ध हैं। इस जानकारी से एक केस योजना (केस प्लान) बनाई जाएगी। इन सेवाओं का प्रयोजन आपका स्वास्थ्य, कल्याण और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। केस कार्य अवधि लगभग 60 दिनों की होती है।

- **अनुवर्तन (फ़ॉलो-अप) –** सेवा के आरंभिक 90 दिनों के बाद, आप आपकी ज़रूरतों के आधार पर 12 से 24 माह तक APS की ओर से हर माह संपर्क किया जाना चुन सकते हैं। APS की ओर से टेलीफोन पर या सशरीर संपर्क किया जाएगा। अनुवर्तन (फ़ॉलो-अप) भावी दुर्व्यवहार, उपेक्षा, वित्तीय शोषण और/या स्व-उपेक्षा के जोखिम को घटाने के लिए होता है।

आपके अधिकार क्या हैं?

आपको यह करने का अधिकार है:

- बुनियादी सुरक्षा पाना, जिसमें दुर्व्यवहार, उपेक्षा और शोषण से संरक्षण शामिल है,
- ऐसे प्रदाताओं से सेवाएँ पाना जो APS सेवाओं में उचित रूप से प्रशिक्षित हैं,
- जोखिम का, और समर्थक व खंडनकारी तथ्यों का एक पक्षपातरहित आकलन पाना,
- यह चुनना कि कौनसी सेवाएँ और कौनसे प्रदाता आपको सहायता दे सकते हैं,
- आपको निर्णय लेने में मदद देने वाली जानकारी दी जाना,
- सेवाओं के लिए उपलब्ध विभिन्न प्रकार के विकल्पों के बारे में और सहयोग करने या सेवाएँ स्वीकारने से मना करने के परिणामों के बारे में जानकारी दी जाना,
- यह तय करना कि आपकी देखभाल औक केस योजना में कौन शामिल होगा,
- गरिमापूर्ण और सम्मानपूर्ण व्यवहार पाना,
- आपके लिए उपलब्ध सर्वाधिक आत्मनिर्भर स्थान में बने रहना,
- आपको सबसे अधिक समझ आने वाली भाषा में जानकारी पाना,
- किसी भी समय सेवाओं से मना करना और अपना APS केस बंद करवा देना,
- आकलन का परिणाम जानना,
- आपकी ज़रूरतें पूरी करने वाले उचित समायोजन पाना,
- रोज़गार, अचल संपत्ति के संव्यवहारों, वित्तीय उधार तक पहुँच, और सार्वजनिक समायोजनों की उपलब्धता के संबंध में नस्ल/जाति, रंग, धर्म, लिंग, राष्ट्रीय मूल, वंशावली, आयु, संरक्षण आदेश स्थिति, वैवाहिक स्थिति, शारीरिक या मानसिक अशक्तता, सैन्य स्थिति, यौन झुकाव, लैंगिक पहचान, गर्भावस्था या रोजगार, अचल संपत्ति लेनदेन, वित्तीय ऋण तक पहुंच, और सार्वजनिक आवास की उपलब्धता के संबंध में सैन्य सेवा से प्रतिकूल निर्वहन (इलिनॉय मानवाधिकार अधिनियम (ह्यूमन राइट्स एक्ट) 775 ILCS 5/1-102(A)) और,
- गोपनीय रहना, केवल वयस्क संरक्षण सेवाएँ अधिनियम (एडल्ट प्रोटेक्टिव सर्विसेज़ एक्ट) (320 ILCS 20) में यथावर्णित को छोड़कर।

APS आकलन के संभावति परणािम क्या हैं?

आकलन के अंत में APS कर्मी यह तय करेगा कि दुर्व्यवहार, उपेक्षा, परित्याग, वित्तीय शोषण, और/या स्व-उपेक्षा का/के आरोप निम्नलिखित में से क्या है/हैं:

- **पुष्टित**

  - **सत्यापित –** इस बात का "स्पष्ट एवं ठोस साक्ष्य" उपस्थति है कि दुर्व्यवहार, उपेक्षा, वित्तीय शोषण, और/या स्व-उपेक्षा हुआ/ई है। (आप APS के साथ कार्य करते रहना चुन सकते हैं।)

  - **कुछ संकेतन –** इस बात का "प्रमाणाधिक्य" उपस्थति है कि दुर्व्यवहार, उपेक्षा, वित्तीय शोषण, और/या स्व-उपेक्षा हुआ/ई है। (आप APS के साथ कार्य करते रहना चुन सकते हैं।)

  - **कोई संकेतन नहीं –** इस बात के "विश्वसनीय साक्ष्य" का अभाव है कि दुर्व्यवहार, उपेक्षा, वित्तीय शोषण, और/या स्व-उपेक्षा हुआ/ई है। (APS केस बंद कर देगा।)

- **अपुष्ट –** सभी चिंताओं की पहचान "कोई संकेतन नहीं" के रूप में हुई है। (APS केस बंद कर देगा।)

- **पुष्टि में असमर्थ** क्षेत्राधिकार न होने के कारण, स्थान न ढूंढ पाने के कारण, पहुँच न पाने के कारण, या आकलन अस्वीकार कर दिए जाने के कारण। (APS केस बंद कर देगा।)

अन्य जानकारी:

केस नियोजन (केस प्लानिंग)

आप और आपका APS केस कर्मी साथ मिलकर कार्य करके आपकी व्यक्ति-केंद्रित केस योजना बनाएँगे जो आपकी ज़रूरतों और प्राथमिकताओं की पूर्ति में सहायता करेगी। APS का मानना है कि सभी वयस्कों में प्राथमिकताएँ जताने और चुनाव करने की शक्तियाँ और योग्यता होती हैं। केस नियोजन (केस प्लानिंग) प्रक्रिया में दो उद्देश्यों से आवश्यक जानकारी एकत्र करना शामिल होगा; पहला उद्देश्य: यह सुनिश्चित करना कि आप अपनी सेवाओं और सहयोगों का निर्देशन अधिकतम संभव सीमा तक करने में समर्थ हों; और दूसरा उद्देश्य: आपको सूचित चुनाव करने और निर्णय लेने में सहायता देना। आपके चुनावों और प्राथमिकताओं का हमेशा ध्यान रखा जाएगा। केस नियोजन (केस प्लानिंग) आत्मनिर्भरता को अधिकतम करने, संपर्कों की रचना करने और आपके लक्ष्यों व इच्छाओं की प्राप्ति की दिशा में कार्य करने के लिए होता है। यदि आपकी केस योजना में शामिल सेवाओं के साथ कोई समस्या हो, तो प्रदाता से संपर्क करें और किसी पर्यवेक्षक (सुपरवाइज़र) से बात करें या अपने APS केस कर्मी को कॉल करें।

सशुल्क देखभालकर्ता

यदि APS अंतर्ग्रहण में कोई ऐसा देखभालकर्ता शामिल है जिसे सार्वजनिक निधि से भुगतान किया जाता है, तो APS केस कर्मी को देखभालकर्ता से साक्षात्कार करना होगा। यदि केस कर्मी स्पष्ट एवं ठोस साक्ष्य के साथ केस की पुष्टि करता है, तो देखभालकर्ता की पहचान APS रजिस्ट्री में शामिल की जा सकती है। APS रजिस्ट्री को घर-में और समुदाय-स्थित सेवाएँ पा रहे वयस्कों के संरक्षण के लिए तैयार किया गया था। यदि किसी देखभालकर्ता को APS रजिस्ट्री में शामिल किया जाता है, तो उसे ऐसे प्रत्यक्ष देखभाल रोज़गार पाने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा जिनका भुगतान सार्वजनिक निधि से होता है। APS रजिस्ट्री में शामिल किए जाने हेतु संप्रेषित (रेफ़र किए गए) किसी भी देखभालकर्ता को इस कार्रवाई के विरुद्ध अपील करने का अधिकार है। APS रजिस्ट्री में शामिल समस्त जानकारी गोपनीय रखी जाती है, केवल वयस्क संरक्षण सेवाएँ अधिनियम (एडल्ट प्रोटेक्टिव सर्विसेज़ एक्ट) (320 ILCS 20) में विशिष्ट रूप से यथाप्राधिकृत को छोड़कर।

क्षमता संबंधी समस्याएँ

आकलन के दौरान APS केस कर्मी जानकारी ग्रहण करने और समझ सकने की आपकी योग्यता के निर्धारण के लिए एक स्क्रीनिंग (जाँच) करने को कह सकता है। इस स्क्रीनिंग में स्मृति, भाषा या घड़ी का चित्र बनाने से संबंधित प्रश्न हो सकते हैं। आपके परिणामों के आधार पर APS किसी चिकित्सक द्वारा अतिरिक्त मूल्यांकन का सुझाव दे सकता है और आपको जिन भी तात्कालिक ज़रूरतों का अनुभव हो रहा हो उनकी पूर्ति के लिए आपके सर्वोत्तम हित में कार्य कर सकता है। आपको इस स्क्रीनिंग से मना करने का अधिकार है।

यदि वर्तमान में आपका कोई संरक्षक या अन्य सक्रिय स्थानापन्न निर्णयकर्ता है, जैसे कोई मुख़्तार (पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी), तो APS आकलन व केस नियोजन (केस प्लानिंग) पूरा करने के लिए इन व्यक्तियों के साथ कार्य करेगा। यदि आपके स्थानापन्न निर्णयकर्ता पर आपसे दुर्व्यवहार करने, आपकी उपेक्षा करने या आपका वित्तीय शोषण करने का आरोप है, तो APS आपके सर्वोत्तम हित में कार्य करेगा और कुछ परिस्थितियों में न्यायालय को APS आकलन परिणाम के बारे में सूचित करेगा।

शिकायत प्रक्रिया

यदि आपका मानना है कि आपके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है या आपके मन में आपके APS केस कर्मी या APS एजेंसी से आपको मिली सेवा के बारे में कोई अन्य चिंता है, तो कृपया IDoA (इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑन एजिंग/जरण विभाग) के वयस्क संरक्षण सेवाएँ कार्यालय (ऑफ़िस ऑफ़ एडल्ट प्रोटेक्टिव सर्विसेज़) से इस पते पर लिखित में संपर्क करें:

Aging.APSProgram@illinois.gov

या:
One Natural Resources Way, Suite 100, Springfield, IL 62702.
IDoA आपकी चिंताओं के बारे में आगे की कार्रवाई के लिए आपसे संपर्क करेगा।

घोटालों और धोखाधड़ी की सूचना देना

यदि आपका मानना है कि आप किसी प्रकार के घोटाले या धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं, तो कृपया राष्ट्रीय बुज़ुर्ग धोखाधड़ी हॉटलाइन (नेशनल एल्डर फ़्रॉड हॉटलाइन) से इस नंबर पर संपर्क करें:

1-833-372-8311

Illinois Department on Aging

दुर्व्यवहार, उपेक्षा, वित्तीय शोषण, या स्व-उपेक्षा की सूचनाएँ

यदि आपका मानना है कि आप दुर्व्यवहार, उपेक्षा, वित्तीय शोषण, और/या स्व-उपेक्षा के शिकार हैं, तो कृपया वरिष्ठ हेल्पलाइन (सीनियर हेल्पलाइन) को इस नंबर पर कॉल करें:

1-866-800-1409

वयस्क संरक्षण सेवाओं (एडल्ट प्रोटेक्टिव सर्विसेज़) के बारे में और जानकारी के लिए कृपया यहाँ आएँ:

ilaging.illinois.gov/engage

@IL_DoA

@illinoisDoA

इलिनॉय जरण विभाग (डिपार्टमेंट ऑन एजिंग) कार्यक्रमों में दाख़िले या कार्यक्रमों अथवा गतिविधियों में रोज़गार से संबंधित व्यवहार के संबंध में किसी भी व्यक्ति से उसकी नस्ल/जाति, रंग, धर्म, लिंग, राष्ट्रीय मूल, वंशावली, आयु, संरक्षण आदेश स्थिति, वैवाहिक स्थिति, शारीरिक या मानसिक अशक्तता, सैन्य स्थिति, यौन झुकाव, लैंगिक पहचान, गर्भावस्था या सैन्य सेवा से प्रतिकूल सेवा-समाप्ति के कारण भेदभाव नहीं करता है। यदि आपको लगता है कि आपसे भेदभाव किया गया है, तो आपको इलिनॉय जरण विभाग (डिपार्टमेंट ऑन एजिंग) में शिकायत दर्ज़ कराने का अधिकार है। जानकारी के लिए वरिष्ठ हेल्पलाइन (सीनियर हेल्पलाइन) को कॉल करें: 1-800-252-8966.

इलिनॉय राज्य के प्राधिकरण द्वारा मुद्रित। 3/25 . 500c . IOCI22-0827 (हिन्दी)